



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी उपेन्द्र उर्फ उप्पा को हुआ 10 वर्ष का कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ उप्पा पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम नागल थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना रमाला पर मु0अ0सं0- 171/2000 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ उप्पा को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-21.02.2024

थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय 05 चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध बन्दूक मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर, 02 अवैध चाकू व चोरी/लूटा हुआ बिजली का सामान तथा घटना में प्रयुक्त उपकरण, 01 मो0सा0 02 बुलेरो पिकअप गाडी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 13.02.24 को थाना दोघट पर वादी अक्षय पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा करबा दोघट बिजली घर से करीब 900 मीटर केबिल चोरी कर लिया हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



2.दिनांक 19.02.2024 को थाना दोघट पर शमशाद ठेकेदार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा 33/11 केवी विधुत उपकेन्द्र टीकरी पी0टी0डब्ल्यु0 की लाइन विभाजित करने हेतु चल रहे पोषकों के निर्माण कार्य से करीब 1390 मीटर डॉंग तार को चोरी कर लिया है तथा लाइन का खम्बा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्यीय 05 चोर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध बन्दूक मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर, 02 अवैध चाकू व चोरी किये हुए 12 गन फिटिंग, 03 इन्सुलेटर 11000 वोल्ट, लीड बॉक्स केबिल करीब 80 मीटर, 05 एलटी बॉक्स, 03 लकड़ी के चक्के, 01 कैन में करीब 20 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, केबिल 95 नम्बर एबीसी 06 बंडल, बिजली का तार कुल बजन लगभग 13 कुन्टल व लूटे हुए 02 आधार कार्ड, 06 बैटरी, 2250 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त 01 तारकटर, 01 लोहे की आरी, 01 पल्सर मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट, 02 बुलेरो पिकअप गाडी नं0 क्रमशः यूपी17एटी7833 व यूपी19टी5927 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोहित पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामिल।
- 2-अरविन्द उर्फ गुड्डु पुत्र प्रकाश निवासी बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-नोमान पुत्र दारा निवासी मौहल्ला गुजरान खजूर वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना कांधला जनपद शामिल।
- 4-मोहित उर्फ बन्टी पुत्र सुन्दर निवासी तमेलगढी थाना दोघट जनपद बागपत व हाल पता मौहल्ला रायजादगान कस्बा कांधला थाना कांधला जनपद शामिल।
- 5-मनोज पुत्र राजकिरण निवासी अली नगर थाना झिझाना जनपद शामिल।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- एक अवैध बन्दूक मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर।
- 02 अवैध चाकू।
- चोरी किये हुए 12 गन फिटिंग, 03 इन्सुलेटर 11000 वोल्ट, लीड बॉक्स केबिल करीब 80 मीटर, 05 एलटी बॉक्स, 03 लकड़ी के चक्के, 01 कैन में करीब 20 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, केबिल 95 नम्बर एबीसी 06 बंडल, बिजली का तार कुल बजन लगभग 13 कुन्टल,
- लूटे हुए 02 आधार कार्ड, 06 बैटरी, 2250 रुपये नकद। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 25/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत)
- घटना में प्रयुक्त 01 तारकटर, 01 लोहे की आरी, 01 पल्सर मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट, 02 बुलेरो पिकअप गाडी नं0 क्रमशः यूपी17एटी7833 व यूपी19टी5927

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 53/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

4-मु0अ0स0 25/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

5-मु0अ0स0 2281/22 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना एपीटी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त नोमान का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 54/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-मु0अ0स0 25/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

4-मु0अ0स0 16/19 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

5- मु0अ0स0 17/19 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

6- मु0अ0स0 20/19 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

7- मु0अ0स0 27/19 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

8-मु0अ0स0 2281/22 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना एपीटी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित उर्फ बन्टी का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 55/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-मु0अ0स0 25/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

5-मु0अ0स0 2281/22 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना एपीटी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द उर्फ गुड्डु का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 56/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।

4-मु0अ0स0 25/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

5-मु0अ0स0 17/19 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

6-मु0अ0स0 20/19 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

7-मु0अ0स0 21/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

8-मु0अ0स0 357/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

9-मु0अ0स0 363/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

10-मु0अ0स0 137/20 धारा 380/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

11-मु0अ0स0 07/23 धारा 380/411 भादवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर

12-मु0अ0स0 10/23 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद मु0नगर

13-मु0अ0स0 263/22 धारा 136/137 विधुत अधिनियम थाना शाहपुर जनपद मु0नगर

14-मु0अ0स0 2281/22 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना एपीटी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण मनोज का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 57/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 360/21 धारा 201/304 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 5- मु0अ0सं0 160/22 धारा 174ए भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 6- मु0अ0सं0 98/23 धारा 399/402/414 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबरी जनपद शामली
- 7- मु0अ0स0 2281/22 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना एपीटी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री मनोज कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम ।
- 2-थानाध्यक्ष श्री सोनवीर सिंह सोलंकी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 36 हरबिन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 9-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 10-का0 49 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 11-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 12-का0 1077 संतोष कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 21.02.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 500 रुपये की इनामी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2019 को थाना बिनौली पर वादी रासिद पुत्र हसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मतीन (पति) पुत्र महबूब, 2.महबूब (ससुर), 3.सलीम (देवर) उर्फ घोल्लू पुत्र महबूब, 4.शहजाद (देवर) पुत्र महबूब व 03 महिला निवासीगण ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताडित कर तीन लाख रुपये की माँग करना, माँग पुरी न करने पर तेल डालकर आग



लगा दी, जिससे प्रार्थी की बहन बुरी तरह से झुलस गई जिसको गम्भीर हालत में मेरठ अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/307 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान पीडिता की दौराने उपचार दिनांक 4.6.2019 को मृत्यु होने के कारण धारा 307 भादवि का विलोपन कर धारा 304बी भादवि की वृद्धि की गई है । अभियुक्त मतीन को दिनांक 7.7.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 500 रुपये की इनामी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है । उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्ता 05 साल से फरार चल रही थी जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 111/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना बिनौली
- 2- मु0अ0सं0 367/19 धारा 174ए भादवि थाना बिनौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री सुभाष चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-म0का0 870 मनीषा पंवार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 546 विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7- का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।




प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने जगह-जगह घूमकर धोखाधडी करके महिलाओ से पेंशन बनवाने का झांसा देकर कुन्डल ठगने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से धोखाधडी कर लिये हुए 4 जोडी कान के कुन्डल (पीली धातु) व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस तथा एक मो0सा0 टीवीएस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

1-दिनांक 08.11.2023 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी सोकेश पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की माता से सैक्रेट्री बताकर पेंशन बनाने के नाम पर धोखाधडी करके कानो के कुन्डल (पीली धातु) ले लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 293/23 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना व प्राप्त साक्ष्य व माल के आधार पर धारा 419/170/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी ।

2- दिनांक 20.02.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी रमेशचन्द निवासी ग्राम कैडवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि टीवीएस मो0सा0 पर एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की पत्नी की पेंशन बनवाने के नाम पर धोखाधडी करके कानो के कुन्डल (पीली धातु) ले गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना व प्राप्त साक्ष्य व माल के आधार पर धारा 170/411 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 293/23 धारा 420/406 भादवि, मु०अ०सं० 28/24 धारा 420/406 भादवि, थाना कोतवाली बागपत के मु०अ०सं० 131/2024 धारा 420/406 भादवि व थाना बिनौली के मु०अ०सं० 39/24 धारा 406/420 भादवि का सफल अनावरण करते हुए जगह-जगह घूमकर धोखाधड़ी करके पेंशन बनवाने का झांसा देकर महिलाओं के कानो के कुन्डल (पीली धातु) को ले जाने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 04 जोड़ी कानो के कुन्डल (पीली धातु) व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० टीवीएस नं० UP17X 3522 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अमित पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम सादिकपुर सिनोली थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोड़ी कानो के कुन्डल (पीली धातु) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 293/23 धारा 420/406 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत)
- 01 जोड़ी कानो के कुन्डल (पीली धातु) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 58/24 धारा 420/406 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत)
- 01 जोड़ी कानो के कुन्डल (पीली धातु) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 131/24 धारा 420/406 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- 01 जोड़ी कानो के कुन्डल (पीली धातु) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 39/24 धारा 420/406 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत)
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस।
- एक मो०सा० टीवीएस नं० UP17X 3522

गिरफ्तार अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

- (1) मु०अ०सं०-293/23 धारा 406/419/420/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- (2) मु०अ०सं० 58/24 धारा-406/420/411/170 भादवि, थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- (3) मु०अ०सं०-838/20 धारा-170/171/420/468/470/471/507 भादवि थाना बागपत बागपत
- (4) मु०अ०सं०-041/19 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत

- (5) मु0अ0सं0-050/15 धारा-328/379 भादवि थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत
- (6) मु0अ0सं0 485/18 धारा 120(बी)/386 भादवि थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत
- (7) मु0अ0सं0 342/20 धारा 170/420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत
- (8) मु0अ0सं0 343/20 धारा 170/420 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत
- (9) मु0अ0सं0 218/14 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
- (10) मु0अ0सं0 146/19 धारा 392/411 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
- (11) मु0अ0सं0 217/19 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
- (12) मु0अ0सं0 150/19 धारा 419/420 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- (13) मु0अ0सं0 151/19 धारा 171/416/418/419/420/465/468/471 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर
- (14) मु0अ0सं0-152/19 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- (15) मु0अ0सं0-118/22 धारा 420/467/468/471/484 भादवि थाना भावनपुर जिला मेरठ
- (16) मु0अ0सं0-131/24 धारा 420.406 भादवि थाना को0बागपत जनपद बागपत
- (17) मु0अ0सं0-39/24 धारा 392.411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.SSI/IC श्री मनोज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री नन्हे सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
3. है0का0 552 मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6. का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 21.02.24

थाना छपरौली पुलिस ने डायल 112 की मदद से चैकिंग को दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा डायल 112 की मदद से चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

स्वदेश पाल पुत्र स्व0 विजय सिंह निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 21.02.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र कुवरपाल निवासी खपराना थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द यादव

3-का0 1024 उपेन्द्र यादव